दूरभाष न. 0141–2796330

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

प.3(5)रा.आ.मि/वित्त–क्रय समिति/ई–बोली–3/2016 –17/ 2360 दिनांक: 22.11.2016

निर्मित औषधियों के क्रय व आपूर्ति हेतु दर संविदा ई–बोली

विज्ञप्ति वर्ष 2016–17

(यूनानी निर्मित औषधियों के लिए)

(एक वर्षीय दर संविदा दिनांक 31.12.2017 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली ऑन लाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 14.12.2016 सांय 5:00 बजे तक

दूरभाष न. 0141–2796330

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन,राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)
Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

क्रमांकः– प.3(5)रा.आ.मि/वित्त–क्रय समिति/ई–बोली–3/2016–17/2360 दिनांकः 22.11.2016

ई–बोली विज्ञप्ति (दर संविदा)

(विस्तृत विज्ञप्ति)

(यूनानी निर्मित औषधियों के लिए)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से यूनानी चिकित्सालयों/औषधालयों के उपयोगार्थ, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की दर संविदा आधार पर आपूर्ति व क्रय हेतु, भारत सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा राज्य सरकारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राजकीय रसायनशालाओं एवं अपनी स्वयं की विनिर्माण इकाईयों में निर्माण करने तथा जी.एम.पी. का अनुपालन करने वाले राजकीय सहकारी संस्थानों से बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित मुल्य (लाखों में)	बोली फार्म का शुल्क (रू.में)	ई–टेण्डरिंग प्रोसेसिंग फीस (रू.में)	प्रस्तावित आन लाईन बोली		
					फार्म डाउन लोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	फार्म अपलोड करने की अतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी आनलाईन बोली खोलने की दिनांक एंव समय
1	यूनानी चिकित्सालयों / औषधालयों के लिए निर्मित औषधी	137.65	1000	1000	24.11.2016 अपरान्ह 3.00 से	14.12.2016 सायंकाल 5:00 बजे तक	15.12.2016 अपरान्ह 1:00 बजे

नोट :–

(1) बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर ऑन लाईन देखा जा सकता है एवं बोली केवल ऑन लाईन ही स्वीकार की जावेगी।

(2) इच्छुक बोलीदाता को ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट **http:/ /eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

(3) बोली विज्ञप्ति एवं सूचना जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट **www.dipr.rajasthan.gov.in., sppp.rajasthan.gov.in** एवं **ayurved.rajasthan.gov.in** पर भी देखी जा सकती है।

(4) प्री–बोली बैठक दिनांक 30.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर में होगी।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय आयुष मिशन,
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,
जयपुर

दूरभाष न. 0141–2796330

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

निर्मित यूनानी औषधियों के क्रय व आपूर्ति हेतु दर संविदा ई–बोली

(एक वर्षीय दर संविदा दिनांक 31.12..2017 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली संदर्भ :– प.3 (5) रा.आ.मि/वित्त–क्रय समिति/ई–बोली–3/2016–17/2360

दिनांकः 22.11.2016

प्री बोली बैठक दिनांक :– 30.11.2016 समय :– प्रातः 11:00 बजे

स्थान :– आयुष भवन,सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर।

बोली प्रपत्र डाउनलोड करने की	:	दिनांक 24.11.2016
दिनांक व समय	:	समय – सांय 3.00 बजे से
ऑन लाईन बोली भरने की	:	दिनांक 14.12.2016
अंतिम दिनांक व समय	:	समय – सांय 5.00 बजे तक
तकनीकी ऑन लाईन बोली खोलने	:	दिनांक 15.12.2016
की दिनांक व समय	:	समय – मध्यान्ह 1.00 बजे
बोली प्रपत्र शुल्क	:	1000/– रूपये
RISL प्रोसेसिंग शुल्क	:	1000/– रूपये

दूरभाष न. 0141–2796330

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन,राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)
Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

तकनीकी बोली प्रपत्र

(यूनानी निर्मित औषधियों के लिए)

- **बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ दिनांक – 24.11.2016 समय – सायं 3:00 बजे से**
- **बोली प्रपत्र अपलोड अन्तिम दिनांक – 14.12.2016 समय – सायं 5:00 बजे तक**
- **बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक – 15.12.2016 समय – दोपहर 1:00 बजे**

यूनानी निर्मित औषधियों के लिए दर संविदा

क्रम सं	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना
1	**बोलीदाता फर्म का पूरा नाम पता** फोन.न ई–मेल.आई.डी	....
	अधिकृत व्यक्ति का नाम, पद **मोबाईल नं**	....
2	**बोली सम्बोधित है**	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
3	**सन्दर्भ**	यूनानी निर्मित औषधियों के लिए जारी ई बोली सूचना क्रमांकः– **प. 3 (5)रा.आ. मि./वित्त–क्रय समिति/ई–बोली–3/2016–17/2360 दिनांकः 22.11.2016 जयपुर,**
4	**बोली शुल्क राशि** डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर दिनांक	.... स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।
5	**प्रोसेसिंग फीस राशि** डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर दिनांक	.... स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।

1. मै/हम .....मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली संख्या क्रमांकः– प. 3(5)रा.आ. मि/वित्त–क्रय समिति/ई–बोली–3/2016–17/2360 दिनांकः 22.11.2016 जयपुर में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र मे अंकित सभी नियम व शर्तो को स्वीकार करने से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। **(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)**

2. आपूर्ति किये जाने वाली निर्मित औषधि का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक– एक (1) में है, उनकी मात्रा को भलीभांति देख लिया है, कुल सामग्री आपूर्ति को ध्यान मे लेने के बाद वित्तीय दरें ऑनलाईन अंकित की गई है। दर्शाई गई निर्मित औषधियों की मात्रा में कमी एवं वृद्धि संभव है। न्यूनतम क्रय की मात्रा की गारंटी नहीं है। दर्शाई गई मात्रा के विरूद्ध आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश दिए जायेंगे।
3. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से निर्धारित अवधि 60 दिवस की अवधि के भीतर बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार के औषधियों की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
4. उद्धृत की गयी दरें वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.12.2017 तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP नियम 29–2 (1) के अनुसार बढाया जा सकेगा।
5. बोली शर्तो पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य आवश्यक सभी दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड कर दिए गए है।

6. फर्म के भागीदारों एवं चल/अचल सम्पत्ति आदि का पूर्ण विवरणः– (स्थान कम होने पर अलग से सूचना संलग्न की जा सकती है)

क. बोलीदाता फर्म, राज्य/केन्द्र सरकार का उपक्रम/फार्मेसी/राजकीय रजिस्टर्ड को–ऑपरेटिव समिति/संस्था है।

.....

ख. फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.स	नाम	पद	पता	फोन नम्बर
1				
2				
3				

ग. फर्म के निम्न भागीदार है :–

क्र.सं.	नाम	विवरण	पता	फोन न.
1				
2				
3				

घ. फर्म की चल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	खाता जिसके नाम से संचालित है, का विवरण	बैंक का नाम मय शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	खाते में जमा राशि
1				
2				
3				

अन्य चल सम्पत्तिः– .....

ड़. फर्म की अचल सम्पत्ति का विरवण इस प्रकार है :–

क्रं	सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	सम्पत्ति कहॉ स्थित है	सम्पति का अनुमानित बाजार मूल्य
1			
2			
3			

च. क्या फर्म कभी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान द्वारा काली सूची (BlackList) में डाली गई है ? हॉ/नहीं
यदि हॉ तो पूर्ण विवरण अंकित करे :–

.....

.....

7. तकनीकी बोली में निम्न विवरणानुसार प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/सहमति पत्र/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की प्रति जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित कर स्केन कर अपलोड करनी होगी। अपलोडिंग के दौरान कोई तकनीकी समस्या होने के फलस्वरूप यदि कोई दस्तावेज अपलोड होने से रह जाता है, तो इसके लिए मिशन उत्तरदायी नहीं होगा एवं फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

कं. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या (..... से.....)
1	फर्म/संस्था का भारत सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने अथवा राजकीय रसायनशाला होने या राजकीय रजिस्टर्ड कॉ–ऑपरेटिव क्षेत्र की संस्था होने संबंधी दस्तावेज, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, की प्रति। **साथ ही धरोहर राशि छूट हेतु घोषणा मय प्रमाण पत्र। (संलग्नक– क)**	
2	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
3	स्वयं के नाम से औषधि विर्निमाण लाईसेन्स (Manufacturing Licence) मय अद्यावधि नवीनीकरण प्रमाण पत्र एवं निर्माण की जाने वाली औषधियों की अनुमोदित सूची की प्रति। **(लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)**	
4	अद्यतन जारी जी0एम0पी0 प्रमाण–पत्र की प्रति।	
5	निर्माता के पास रसायनशाला में औषध परीक्षण प्रयोगशाला (Drug Testing Laboratory) होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति। **(यदि हो तो)**	
6	उद्योग विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स की प्रति।	
7	बोलीदाता द्वारा स्वयं औषध निर्माता होने का घोषणा पत्र।**(संलग्नक –ख)**	
8	विगत तीन वर्षो (2013–14, 2014–15, 2015–16) में केवल यूनानी औषधियों का औसतन टर्न ओवर 1.00 करोड न्यूनतम हो। इस हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।**(संलग्नक –ग)**	
9	रूपये 10.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Blacklisted) न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित। **(संलग्नक –घ)**	
10	औषधि नियत्रंक से जारी नॉन कन्विक्शन **(NON– CONVICTION)** प्रमाण पत्र जो बोली जारी होने की तिथि से छः माह से अधिक पुराना न हो।	
11	बोली फार्म शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति। **मूल डी.डी व बैकर्स चैक, बिन्दु संख्या 1 के अंतर्गत वांछित घोषणा तथा मूल शपथ पत्र बिन्दु संख्या 9, 30 एवं 32 एवं बिन्दु संख्या 22 के अनुसार** **पावर ऑफ अटार्नी अंतिम दिनांक 14.12.2016 समय – सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।**	
12	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित A,B,C,D एनेक्सर। **(संलग्नक –ड.)**	
13	ड्रग एवं कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के प्रावधानों में वर्णित Schedule TA के अनुसार औषध निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए कच्चे औषध द्रव्यों की गत तीन वर्ष की सूची सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित की प्रति।	
14	निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षो (2013–14 से 2015–16) से निरन्तर औषध निर्माण एवं विपणन करने संबंधी दस्तावेजों की मय जांच रिपोर्ट **(Batch Manufacturing Report)** की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।	
15	निर्माता के आई.एस.ओ अथवा अन्य गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति।	
16	संस्था द्वारा औषध निर्माण/औषध प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किए जाने संबंधी घोषणा –पत्र। **(संलग्नक– च)**	
17	गत तीन वर्षो (2013–14, 2014–15, 2015–16) की सनदी लेखाकार (सी.ए.) द्वारा जारी फर्म की अंकेक्षण प्रतिवेदन **(Audit Report)** की प्रति।	
18	वाणिज्यक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र व कर चुकता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2016 तक **(Registration and Tax Clearance Certificate)** जिसमें दिनांक 31.03.2016 को कोई कर बकाया न होने का उल्लेख हो।	
19	बोली, बोली प्रपत्र, बोली की समस्त नियम व शर्तों से सहमत होने की घोषणा पत्र।	

	(संलग्नक– छ)	
20	फर्म जिस निर्मित औषधि की बोली में हिस्सा ले रही है, उसके निर्माण व एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु बोलीदाता का घोषणा पत्र।**(संलग्नक –ज)**	
21	वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी के प्रपत्र।	
22	बोली के लिये प्रोप्राइटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर रखा, हो तो पावर ऑफ अटार्नी, जो कि बोली जारी होने की तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया हो। मूल प्रति अंतिम **दिनांक 14.12.2016 समय – सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।**	
23	औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भो के अनुसार ही किए जाने बाबत घोषणा–पत्र। **(संलग्नक –झ)**	
24	मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर आपूर्ति की गयी औषधियों को अपने निजी व्यय पर वापस प्राप्त करने संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। **(संलग्नक– ञ)**	
25	औषधियों की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में दर्शाये गये समय के अनुसार करने व पेनल्टी संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। **(संलग्नक –ट)**	
26	बोलीदाता द्वारा जो मूल्य भरा गया है, इससे कम दर पर निर्मित औषधि की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं किए जाने के आशय का घोषणा पत्र।**(संलग्नक –ठ) इस आशय के प्रमाण पत्र का अंकन औषध आपूर्ति पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले बिलो पर भी करना अनिवार्य होगा।**	
27	पेन कार्ड की प्रति	
28	उत्पादन शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र **(Excise Registration Certificate)** व गत 3 वर्षों (2013–14, 2014–15, 2015–16) में उत्पादन शुल्क चुकाने का चालान/रिटर्न की प्रतियां। **यदि उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है, तो तत्संबंधी घोषणा पत्र मय आदेश। (संलग्नक –ड)**	
29	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) के अन्तर्गत शपथ–पत्र **(संलग्नक –ढ.)**	
30	फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित। **(संलग्नक –ण)** मूल प्रति अंतिम **दिनांक 14.12.2016 समय – सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।**	
31	फर्म द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 एवं वर्तमान वर्ष (2016–17) में केन्द्र/राज्य सरकारो के विभागों/उपक्रमों में संतोषप्रद आपूर्ति करने संबंधी न्यूनतम 5 प्रमाण पत्र **(Performance Certificate)** मय आपूर्ति आदेश की प्रति। **(संलग्नक– त)**	
32	मैं/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने जिन निर्मित औषधि हेतु बोली दी है, उनके संबंध में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 31 तक में संलग्न किए गये सभी घोषणा पत्र /प्रमाण पत्र/अन्य सूचना सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई है, रदद् कर दी जावे एवं हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है। यह शपथ पत्र 500/– रू के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर स्केन कर अपलोड करना होगा। **(संलग्नक– थ)**	

नोट :– उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 11 के तहत वर्णित दस्तावेज मूल रूप से बोली की अंतिम दिनांक तक मिशन कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी। बोली शर्त संख्या 50 के तहत चाहे गये दस्तावेज स्केन कर अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया जाता है तो फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
नाम व पता मय
दूरभाष

दूरभाष न. 0141–2796330

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन,राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

(दर संविदा)

ई–बोली से सम्बन्धित नियम, शर्ते एवं सूचना

1. बोली प्रपत्रों को वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in/sppp.rajasthan.gov.in एवं ayurved.rajasthan.gov.in** में से किसी भी वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बोली मे भाग लेने वाले बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट मे वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर जमा करावें।
2. विभागीय बोलियॉ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 14.12.2016 सायं 5.00 बजे तक है। बोली भौतिक रूप से स्वीकार नहीं होगी।
3. तकनीकी बोली दिनांक 15.12.2016 को अपरान्ह 1.00 बजे राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर राजस्थान में खोली जायेगी।
4. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
5. बोली के 2 इलेक्ट्रोनिक लिफाफे होगें:– (1) तकनीकी बोली (2) वित्तीय बोली।
6. तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेजों की प्रतियॉ, जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित हो, स्केन कर अपलोड करनी होगी।
7. वित्तीय बोली भरने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर ले कि, **अनुलग्नक एक (1)** में वर्णित औषधी व उसकी मात्रा को वह निर्धारित समय में मिशन द्वारा दिए गऐ आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति के लिए सक्षम है तथा मिशन द्वारा चाहे गऐ किट के अनुसार व चाहे गऐ स्थान पर आपूर्ति करने हेतु सक्षम है।
8. वित्तीय बोली (बोली दर) के द्वितीय इलैक्ट्रोनिक लिफाफे में बोली दरें ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक–2)** मे प्रत्येक निर्मित औषधी की आपूर्ति मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रति पैंकिग यूनिट दर अंकित की जानी है, अर्थात प्रति इकाई दर देनी है।
9. आपूर्ति की गई औषधि यदि निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो बोलीदाता स्वयं के खर्चों पर उसे बदलेगा। यदि फिर भी निर्मित औषधि निर्धारित मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। बोलीदाता से परिनिर्धारित क्षति आरोपित कर नियमानुसार वसूली की जावेगी।
10. बोली प्रपत्रो हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि **दिनांक 24.11.2016 अपरान्ह 3.00 बजे से** किया जा सकता है।

(अ) बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक **14.12.2016 सायं 05:00 बजे** तक जमा कराये जा सकते है। प्राप्त तकनीकी बोलीयॉ इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के कार्यालय मे दिनांक **15.12.2016** को अपरान्ह 1.00 बजे ऑनलाईन खोली जावेगी। (बोलीदाता चाहे तो उपस्थित रह सकता है।)

(ब) यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय बोलीयॉ खोली जावेगी।

(स) बोली से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। सूचना ई–मेल से दी जावेगी।

(द) बोली खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी बोलीयॉ नही खोली जा सकती है, तो अगले कार्य दिवस मे शेष बोलीयॉ खोलने का कार्य जारी रहेगा ।

(य) तकनीकी बोलीयों मे सफल बोलीदाताओं का **वित्तीय बोली प्रपत्र** इलेक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय मे खोली जावेगी। जिसके लिए निर्धारित समय एवं दिनांक बाबत् सूचना सफल बोलीदाताओ को ई–मेल से दी जावेगी। ईमेल से दी गई सूचना मान्य होगी तथा दूरभाष पर भी सूचित किया जावेगा।

11. बोली प्रपत्रो मे बोलीदाता के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी (Eligibility Criteria) तथा बोलीदाता की पात्रता, स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति की अनुमानित मात्रा का विवरण, नियम एवं शर्ते बोली प्रपत्र में यथास्थान पर वर्णित है।

12. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रौसेसिग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के साथ निम्नांकित मूल दस्तावेज भौतिक रूप से **मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर के कार्यालय मे दिनांक 14.12.2016 सांय 5:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है –**

(अ) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 11 के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के चैक/डी.डी.।

(ब) तालिका के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।

(स) तालिका के बिन्दु संख्या 32 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नॉटेरी से प्रमाणित हो।

(द) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दू संख्या 7 के 1 पर अंकित मूल धरोहर राशि छूट हेतु घोषणा शपथ पत्र।
(संलग्नक– क)

(य) तालिका के बिन्दु संख्या 22 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।

(र) तालिका के बिन्दु संख्या 30 के अनुसार विगत 3 वर्षो में कोई भी उत्पाद अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।

इसके निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर बोली खोली जाना संभव नहीं होगा, डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है तो उसके लिए मिशन जिम्मेदार नहीं है।

13. वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.12.2017 तक बोली दरें स्वीकृत/अनुमोदन हेतु मान्य रहेगी। यदि बोलीदाता उस अवधि मे अपनी बोली अथवा शर्तो मे किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है, तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

14. **किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन के पास सुरक्षित है। बोली किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से निरस्त की जा सकती है।**

15. बोलीदाता को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं को रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन बोली मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, **इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट– 2000** के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलक्ट्रोनिक बोली मे **डिजिटल साईन** करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

1. बोलीदाताओ को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव व्यक्तिगत/भौतिक बोली प्रपत्र मे स्वीकार्य नही होगा।
2. ऑन लाईन बोलीयॉ निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेगी।
3. इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रो से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रो के साथ संलग्न कर दी गई है। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत/भौतिक रूप से स्वीकार नही किये जावेंगें । कोई भी बोली इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए मिशन जिम्मेदार नही होगा।
4. बोली प्रपत्रो के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर ऑनलाईन अपलोड करेगे।
5. असुविधा से बचने के लिये कृपया आवेदन हेतु अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा नही करें ।
6. समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें ।
7. बोली फार्म शुल्क राशि 1000/–रू0 का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर** के नाम से जयपुर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।
8. प्रोसेसिंग फीस 1000/–रू0 का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक M.D., R.I.S.L. Jaipur** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर
मय सील
पूरा नाम पता :–

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,जयपुर

अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर (जो लागू नही हो काट दे)

दूरभाष न. 0141–2796330

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन,राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी
(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

(दर संविदा)
औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्ते

(1) यूनानी निर्मित औषधी बोली फार्म की जानकारी :–

1. बोली में अंकित निर्मित औषधि नमूने के अनुसार सप्लाई करनी हेागी।
2. बोली में अंकित निर्मित औषधि की उल्लेखित मात्रा के अनुसार आपूर्ति मिशन निदेशक के निर्देशों/आदेश के अनुसार करनी होगी। अपूर्ण/आंशिक आपूर्ति स्वीकार योग्य नही होगी।
3. बोलीदाता को किसी निर्मित औषधि के नमूने के अनुसार नही पाये जाने पर अस्वीकृत निर्मित औषधि को 10 दिवस मे बदल कर देना होगा। यदि फिर भी औषधि अनुमोदित नमूने के अनुसार उपलब्ध नही कराई जाती है तो पूरे उस निर्मित औषधि की आपूर्ति अस्वीकार कर दी जावेगी व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) क्रय की जाने वाली विषय वस्तु के नमूनेः –

बोलीदाता द्वारा जिस निर्मित औषधि के लिए दरें वित्तीय बोली **(अनुलग्नक –2)** में दी गई है, उनके पांच–पांच नमूने जैसा कि उनके द्वारा आपूर्ति की जानी है, के सील पैक कर उन पर औषधियों का नाम व विवरण तथा फर्म का नाम अंकित कर तकनीकी बोली को खोलने की तिथि से पूर्व, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नमूने पर बोलीदाता द्वारा अपनी फर्म का नाम लिखना होगा व अपने हस्ताक्षर करने होगें।

(3) ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्तुत करना :–

विभागीय बोलीयॉ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बोली विज्ञप्ति मे अंकित दिनांक एवं समय पर कार्यालय, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर मे उपस्थित बोलीदाता (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाऐं ई–मेल से दी जावेगी, जो मान्य होगी।

(4) बोली ई–प्रोक्योरमेन्ट से स्वीकार करनाः–

केवल उन्ही बोलीयों पर विचार किया जावेगा जो बोली सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से भरी होगी तथा निम्नांकित मूल दस्तावेज अंतिम दिनांक 14.12.2016 समय सायं 5:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से मिशन कार्यालय में जमा कराने होगें। इसके अभाव मे तकनीकी बोली नही खोली जावेगी।

(अ) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 11 के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के चैक/डी.डी.।

(ब) तालिका के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।

(स) तालिका के बिन्दु संख्या 32 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नॉटेरी से प्रमाणित हो।

(द) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दू संख्या 7 के 1 पर अंकित मूल धरोहर राशि छूट हेतु घोषणा शपथ पत्र।

(य) तालिका के बिन्दु संख्या 22 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।

(र) तालिका के बिन्दु संख्या 30 के अनुसार विगत 3 वर्षो में कोई भी उत्पाद अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।

(5) क्रय हेतु सक्षम अधिकारीः–

क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली फार्म में अंकित औषधियों की मात्रा के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होगें।

(6) एक निर्मित औषधि के लिए एक ही वित्तीय दरे अंकित करनाः–

सामग्री का प्रदाय रसायनशाला अजमेर पर करना होगा, अर्थात् एफ.ओ.आर. उक्त रसायनशाला होगी। अतः बोलीदाता प्रत्येक निर्मित औषधि की आपूर्ति की प्रति इकाई दर वित्तीय बोली में उक्त को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन अंकित करें।

नोटः–

(1) दरें सभी प्रकार के खर्चो जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर आदि सहित अंकित की जावें, किन्तु केन्द्रीय एवं राजस्थान राज्य बिक्रीकर (सी.एस.टी. और आर.एस.टी./वैट) को सम्मिलित नहीं किया जावे, उन्हें अलग से निर्धारित कॉलम में ही अंकित करे।

(2) निर्मित औषधि को रसायनशाला अजमेर पर पहुॅचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।

(3) माल पहुॅचाने व उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

(4) यदि बोलीदाता वित्तीय बोली मे ऑनलाईन दरों के साथ किसी प्रकार का कर (सी.एस.टी. /वैट) का निधारित कांलम में अंकन नहीं करता है, तो दरें कर सहित मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में वित्तीय बिड का मूल्यांकन करते समय निविदादाता को अपनी दरों में से VAT को पृथक से बताना होगा। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTTP Rule 2013 के नियम 65 व 66 के अनुसार होगा।

(5) **अनुलग्नक 1** में अंकित औषधियों की मात्रा व उनके किट बनाये जाने एवं उनके निर्धारित रसायनशाला अजमेर पर सुरक्षित पहुॅचाने, पैकिंग व अन्य खर्चे आदि सभी बोलीदाता को वहन करने होगें। इसके लिए मिशन द्वारा कोई खर्चा/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(6) रसायनशाला पर आपूर्ति की गई औषधियों के प्रत्येक बैच के 2 नग सैम्पल टेस्टिंग की दृष्टि से अतिरिक्त आपूर्ति करने होगें।

(7) बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधताः–

बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें, वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.12..2017 तक निर्णय हेतु वैध होगी। इस अवधि में अनुबंध एक साथ अथवा विभाजित कर एक से अधिक बार मिशन की सुविधानुसार संपादित किया जा सकेगा एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या **20 (बीस)** के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरो की वैधता **शर्त संख्या 8** से नियंत्रित होगी।

(8) बोली की अवधि :–

अनुमोदित/स्वीकृत दरो की दर संविदा वैधता अवधि वित्तीय बोली खुलने की दिनांक से 31.12.. 2017 तक मान्य होगी। यदि किसी कारणवश आगामी बोली स्वीकृत नहीं हो पाती है तो केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के अनुमोदन पर क्रय अधिकारी एवं बोलीदाता के आपसी समझौते पर संविदा अवधि को तीन माह के लिए उन्हीं दरों एवं शर्तो पर बढाई जा सकती है।

(9) बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैकर्स चैक स्केन कर अपलोड करना :–

बोली विज्ञप्ति अनुसार बोली के प्रत्येक भाग की बोली राशि पृथक–पृथक निम्नांकित किसी एक प्रारूप में ई–बोली भरते वक्त स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। बोली राशि के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा। बोली राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है। प्रोसेंसिग शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है।

नोटः– विभाग मे किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली राशि/सुरक्षा अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बयाना राशि हेतु समायोजित नही किया जावेगा।

(10) <u>निर्धारित विवरण एवं विभागीय नमूने के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति करना तथा आपूर्ति की गई सामग्री में से नमूने की प्रयोगशाला में जांच करवाना :–</u>

निर्मित औषधि बोली प्रपत्र **अनुलग्नक– 1** में उल्लेखित निर्मित औषधि की आपूर्ति मात्रा के अनुसार संबंधित 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर में आपूर्ति करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का परिवहन व्यय अलग से देय नही होगा। किसी सामग्री में लाईसेंस अथवा प्रमाण पत्र आवश्यक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अधिकृत लाईसेंस/प्रमाण पत्र लेने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

1. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में जिन औषधियों की दर दी गई है, उन औषधियों के पांच–पांच नमूने अलग–अलग पैकिंग सहित सील बन्द रूप से जिन पर औषधियों की सूची चस्पा हो, तकनीकी बोली खोलने की अन्तिम तिथि से पूर्व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। वांछित नमूने प्राप्त नहीं होने पर उस औषधि/औषधियों की वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। जिस बोलीदाता की बोली अस्वीकार हो जाती है, तो उसके द्वारा ये नमूने 1 माह पश्चात् वापस लिये जा सकेंगे, इसके पश्चात् उनकी वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
2. प्रदाय की जाने वाली निर्मित औषधि निर्धारित मापदण्ड व नमूने के अनुसार हो। यदि मापदण्डो के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो उसे बदलकर बोलीदाता को मापदण्ड व नमूने अनुसार निर्मित औषधि आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए अलग से कोई व्यय देय नही होगा।
3. औषधियों की आपूर्ति, उनकी गुणवत्ता, किसी प्रकार के परिवहन होते समय नुकसान से बचाव आदि को ध्यान में रखते हुए उचित मजबूत पैकिंग मे करनी होगी। पैकिंग व्यय अलग से देय नही होगा।
4. आपूर्ति की गई निर्मित औषधियों के प्रत्येक बैच में से आपूर्ति/भण्डारण/वितरण पोईन्ट से जांच हेतु सैम्पल लिए जावेगें तथा इनकी जांच क्रेता अधिकारी द्वारा विभिन्न सूचीबद्व प्रयोगशाला में कराई जाएगी जिसका समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता (बोलीदाता) को वहन करना होगा। यदि मिशन द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट मानको के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो संबंधित फर्म द्वारा औषधियों को वापस लेना होगा एवं उतनी ही मात्रा की औषधियां संबंधित स्थान पर आपूर्ति करनी होगी, इस पर होने वाले व्यय का मिशन द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। मानको के अनुरूप जांच रिपोर्ट होने के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा।

(11) स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतानः–

स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान बोलीदाता से तीन प्रतियो में बिल प्राप्त होने पर बोलीदाता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैक खाते के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जावेगी। यदि बोलीदाता ड्राफ्ट द्वारा भुगतान चाहता है, तो बोलीदाता को बैक ड्राफ्ट द्वारा नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था भी की जा सकेगी, परन्तु ड्राफ्ट का व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा। भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों पर बोलीदाता द्वारा **"जो अनुमोदित राशि बिल में अंकित है, इससे कम दर पर निर्मित औषधि की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं की गई है"** का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।

(12) बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को देनाः–

बोलीदाता बोली किसी अन्य ऐजेन्सी को न तो Sublet करेगा और न ही सप्लाई करवाएगा।

(13) समानान्तर बोलीः–

विभाग को समानान्तर बोली तय करने का अधिकार RTPP Rule 2013 के नियम 29 एंव 74 के अनुसार होगा। उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के मध्येनजर न्यूनतम दर पर अन्य फर्मो को भी क्रयादेश दिया जा सकेगा। इस हेतु मिशन द्वारा अनुमोदित एल–1 की दर के बारे में अन्य सफल बोलीदाताओं को जरिये ई–मेल सूचित किया जाकर उनके द्वारा एल–1 की दर पर आपूर्ति की सहमति प्राप्त की जावेगी। जिस बोलीदाता द्वारा दरे कम करते हुए एल–1 पर आपूर्ति की सहमति प्रदान की जाती है, उससे अनुलग्नक –2 के अनुसार दरे ली जावेगी।

(14) क्रय की मात्राः–

क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दर संविदा अवधि 31.12.2017 के दौरान दिये जायेगे। क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत तक दर संविदा अवधि 31.12..2017 के दौरान क्रय आदेश दिया जा सकता है।

(15) सामान सप्लाई की अवधिः–

बोलीदाता को क्रयादेश निर्गमन दिनांक से 60 दिन की अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। 60 वे दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के दोपहर 3.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है, माल की कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) के रूप में, न कि दण्ड के रूप में राशि वसूल की जावेगी।

(क) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर 2.5 प्रतिशत

(ख) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर 5 प्रतिशत

(ग) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर 7.5 प्रतिशत

(घ) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर 10 प्रतिशत

सामान्यतः क्रयादेश निर्गम की दिनांक से 60 दिन के पश्चात माल स्वीकार नही किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित मे उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह इसके लिए निवेदन बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणो से हुई है, तो सुपुदर्गी अवधि मे वृद्धि परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) सहित या रहित भी की जा सकेगी। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण जॉब के मूल्य पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) वसूल कर सामग्री स्वीकार्य की जा सकेगी।

नोटः– निर्धारित अवधि 60 दिवस में सप्लाई करने में असमर्थ हो तो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर अवगत करावे, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(16) आदेशित आपूर्ति के अभाव मे बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :–

1. बोलीदाता द्वारा क्रयादेश की आपूर्ति अनुमोदित नमूने के अनुसार निर्धारित अवधि मे या शर्त संख्या 15 के अध्यधीन बढी हुई अवधि मे आपूर्ति करने मे असफल रहता है तथा सैम्पल क्वालिटी स्टैण्डर्ड व स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाने पर ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण है कि निर्मित औषधि की अपूर्ण आपूर्ति हुई है। बोलीदाता समस्त निर्मित औषधि आपूर्ति मे असफल रहा है तथा सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) आरोपित के आदेश दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप मिशन/क्रेता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई निर्मित औषधि को बोलीदाता की जोखिम लागत पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के माध्यम से क्रय कर सकेगे, जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नही होगा।
3. निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा औषधियों की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड/आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(17) प्राईस फॉल क्लोजः–

दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा किया विधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय–वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत पर करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत को उनकी स्वीकारोक्ति को सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है, तो उसे अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। **अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण–पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।**

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तो की पालना नही की गई है, तो फर्म बोलीदाता द्वारा मिशन से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त अधिक राशि जमा नही कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(18) सुरक्षा राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करनाः–

भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की सूचना मिलने पर बोलीदाता को पत्र निर्गमित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार अपेक्षित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर **एस. आर. 17** में अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को जमा करानी होगी :–

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के नाम हो।
2. एन.एस.सी.(फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के नाम प्लेज्ड हो।

नोटः–

1. अनुबन्ध सम्पादित नहीं करने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।
2. पूर्व वर्षो की जमा सुरक्षा/बोली राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नही किया जावेगा।
3. वर्तमान बोली की बोली राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति मे बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमो का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमो का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
4. यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/फार्मेसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(19) <u>अस्वीकृत वस्तुएँ:–</u>

बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएँ अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृति की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को बोली दाता को स्वयं अपने खर्चे से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओ के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओ से वसूल किया जावेगा, जो अस्वीकृत वस्तुओ के मूल्य से अधिक नही होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नही उठाने पर संबंधित रसायनशाला अजमेर द्वारा अस्वीकृत माल नीलामी/नष्ट जैसी परिस्थितियाँ हो कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि मिशन कोष में जमा करा दी जावेगी।

(20) <u>सुरक्षा राशि जमा न कराने एवं अनुबन्ध पत्र भरकर न देने पर बयाना राशि जब्त करना:–</u>

यदि कोई सफल बोलीदाता नियम 18 में दर्शाई गई अवधि में अथवा वृद्वि की गई अवधि में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नही कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नही देता है तो बोलीदाता की जमा बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नही दी जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/फार्मेसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(21) <u>बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटाना:–</u>

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली राशि के पूर्ण निर्णय अथवा बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी, यदि संबंधित बोलीदाता के विरूद्ध कोई राशि बकाया न हो ।
2. यदि किसी बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नही हो तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरूद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही सुरक्षा राशि लौटा दी जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा बोली शर्त सं0 18 के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली राशि लौटा दी जावेगी यदि बोलीदाता के विरूद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/फार्मेसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(22) <u>सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटाना:–</u>

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोखे, बोरियॉ, डिब्बें, पत्तियॉ आदि होगी, वो निःशुल्क होगी तथा बोलीदाता को लौटाया नही जावेगी। बोलीदाता सप्लाई करने वाले माल को ठीक ढंग से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगें। औषध परिवहन के समय रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि के लिए मिशन की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(23) <u>राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना:–</u>

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(24) <u>आयात लाइसेंस:–</u>

यदि किसी वस्तु के लिये आयात लाइसेस/अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करने की उत्तरदायित्व स्वय बोलीदाता का होगा।

(25) <u>सुरक्षित अधिकार:–</u>

मिशन निदेशक एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबस कम दर स्वीकार न करके उॅची दरे स्वीकृत कर ले अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(26) <u>कानूनी विवाद क्षेत्रः–</u>

समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों मे ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

(27) <u>वास्तविक निमार्ता द्वारा बोली भरी जानाः–</u>

बोली केवल उन्हीं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों/फार्मेसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं द्वारा भरी जा सकेगी, जो एतद द्वारा विहित पुरोभाव्य शर्ते पूर्ण करती हो :–

1. उक्त उपक्रमों/फार्मेसी/सोसायटी के पास स्वंय का ड्रग्स विनिर्माण का लाइसेंस हो।
2. उक्त उपक्रमों/ फार्मेसी/सोसायटी विगत 3 वर्षो से औषधियों का निर्माण व विक्रय कर रहे हो।
3. उक्त बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी उनवान से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसी उनवान से बिल आदि भुगतान हेतु मिशन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। उक्त बिलो के अतिरिक्त किसी अन्य उनवान के प्रस्तुत बिलो के भुगतान हेतु स्वीकार नही किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध मे मिशन किसी प्रकार के दायित्वाधीन नही होगा।

(28) <u>बोली दरें अंकित करनाः–</u>

वित्तीय बोली में दरें ऑन लाईन प्रपत्र में भरी जावेगी। दरों मे राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकरो की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।
औषधियों की सूची में अंकित औषधी के नाम में भाषा संबंधित कोई अन्तर हो तो अथवा अन्य पैंकिंग में हो तो दर प्रस्तुत करने वाली सूची में ही उसके सामने पृथक से विवरण अंकित करे, लेकिन निर्मित औषधी में घटक परिवर्तित नहीं होने चाहिए।

(29) <u>क्रय अधिमान :–</u>

इस हेतु RTPP Rule 2013 व अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियम व प्रावधान प्रभावी होंगे।

(30) <u>बोली को वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी।</u>

(31) <u>अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारः–</u>

1. बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रो में दिये गये विवरण आदि मे मिशन निदेशक द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. मिशन निदेशक को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(32) <u>निजी शर्ते लगाकर बोली प्रस्तुत करनाः–</u>

बोली शर्तो के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नही होगी।

(33) <u>निरीक्षण अधिकारीः–</u>

तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं/औषध निर्माताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य किया जा सकेग।

(34) <u>बोली शर्तो मे शिथिलता करने का अधिकारः–</u>

बोली शर्तो मे शिथिलता करने हेतु केवल मिशन निदेशक में शक्तियां निहित है।

(35) तकनीकी बोली, बोली का भाग होगा। तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेज उसी क्रम मे संलग्न करे, जिस क्रम मे बोली मे अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

(36) ई–बोली से सम्बन्धित नियम शर्ते एवं सूचना बोली का भाग है।

(37) राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013

दिनांक 04.02.13 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो कि संलग्न है।

(38) उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार होगी।

(39) औषधियों की गुणवत्ता के संबंध में आपूर्ति करते समय बैचवार राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला/ केन्द्र/राज्य सरकार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी जांच प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(40) निर्मित औषधि की आपूर्ति संबंधित रसायनशाला अजमेर के स्टोर पर करनी होगी।

(41) यदि बोलीदाता द्वारा गलत, कूटरचित अथवा तथ्य छिपाकर बोली हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हो तो, बोलीदाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

(42) बोली की शर्तो में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/विवाद होने पर मिशन निदेशक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

(43) **अपील** :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय–III एवं नियम–2013 के अध्याय VII के प्रावधान के अनुसार राजस्थान स्टेट आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर हेतु अपील अधिकारी निम्नानुसार हैः–

क्रं सं	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1.	प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

(1) बिन्दु (9) के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कारवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप ये देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :–

- परन्तु बोली लगाने वाले की सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।
- परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्याकंन करती है, वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीक बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) बिन्द (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी **पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों** का पालन किया गया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा, जो बिन्दु (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्य होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष बिन्दु (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि बिन्दु (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, बिन्दु (2) के अधीन पारित आदेश की प्रति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर बोली दस्तावेज में वर्णित द्वितीय अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) बिन्दु (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त बिन्दु के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष अपील बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के परिवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन और संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस पैरा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी

(9) **कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :–** उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों में से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी, अर्थात् :–

(क) उपापन की आवश्यकता का अवधारण।

(ख) बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध।

(ग) यह विनिश्चय कि बातचीत की जाये या नहीं।

(घ) उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।

(ड़) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

(10) **अपील का प्रारूप** –

(क) बिन्दु (1) या (4) के अधीन यदि कोई अपील संलग्न प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(ख) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(11) **अपील फाइल करने के लिए फीस** –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी भी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(12) **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी :–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारो की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप बिन्दु (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(44) निर्मित औषधियों की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी किसी एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति स्वीकार नहीं होगी।

(45) औषधियों की अनुमानित मात्रा व अन्य विवरण अनुलग्नक 1 में वर्णित है व मात्रा अनुमानित है इसमें कमी/बेशी का सम्पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक का होगा। वित्तीय बिड में दी गई दर क्रयादेश की मात्रा व आपूर्ति स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी।

(46) बोलीदाता द्वारा दी गई व स्वीकार की गई वित्तीय बोली की दरें दर संविदा अवधि 31.12.2017 तक विधि मान्य होगी तथा इसमे किसी भी कारण से कोई दर वृद्वि देय नहीं होगी।

(47) सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

(48) वित्तीय बोलीयों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार RTPP Rule 2013 के नियम 64 के अनुसार होगा।

(49) **<u>भुगतान प्रावधान :–</u>**

(1) बोलीदाता को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगां

(2) सप्लाई की गई औषधियों से सैम्पल की अनुमोदित प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।

(3) सप्लाई की गई औषधियों के लिए गये सैम्पल यदि स्टैण्डर्ड प्रावधान के अनुरूप नहीं पाए जाने व सैम्पल फैल होने की स्थिति में वर्तमान कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही हेतु क्रेता अधिकारी सक्षम होगें।

(4) सप्लायर को अस्वीकृत माल के नये स्टॉक से बदलना होगा।

(5) जो निर्मित औषधियां स्टैण्डर्ड क्वालिटी की नहीं पाई जावेगी, उनका भुगतान बोलीदाता को नहीं किया जावेगा, चाहे उनका उपयोग कर लिया गया हो अथवा नहीं। क्रेता अधिकारी को बोलीदाता के किसी भी बकाया अन्य भुगतान से इस अस्वीकृत माल की राशि वसूल करने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में बोलीदाता के विरूद्व नियमानुसार ब्लैक लिस्टिंग/डीबार करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(6) औषधियों की आपूर्ति के समय परिवहन/पैंकिंग या अन्य कारणों से किसी प्रकार की क्षति या आपूर्ति में कमी दृष्टिगत होती है तो फर्म को सूचित करने के 15 दिवस मे पाई

गई कमी की आपूर्ति करनी होगी, इसके अभाव में कम प्राप्त हुई सामग्री का भुगतान काटकर एंव शास्ति आरोपित कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

(7) सप्लायर आपूर्ति से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक किट में आदेशित औषधि की मात्रा पूरी संधारित की हुई है, यदि मात्रा में कमी पाई जाती है तो उसका भुगतान काटते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

(50) <u>औषधियों की आपूर्ति हेतु बोली से संबंधित पात्रता की शर्तेः–</u>

निम्नांकित बिन्दुओं की शर्ते पूरी होने पर ही संबंधित फर्म बोली भरने के लिए पात्र होगी। प्रत्येक बिन्दु के लिए प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/वांछित दस्तावेज साक्ष्य के बतौर तकनीकी बोली में स्केन कर अपलोड करने होगें। इनके अभाव में कमेटी द्वारा संबंधित फर्म की तकनीकी बोली पर निर्णय किया जाना संभव नहीं होगाः–

(1) केवल वही फर्म/संस्था जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/फार्मेसी एवं राजकीय रजिस्टर्ड को–ऑपरेटिव क्षेत्र की संस्था है और जो स्वयं मूल औषधि निर्माता हो व जी.एम.पी. प्रमाण पत्र धारक हो वही बोली में भाग लेने के पात्र होगें।

(2) बोलीदाता के स्वयं के नाम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनीकृत लाईसेन्स एवं जी. एम.पी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)

(3) वाणिज्यक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र व कर चुकता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2016 तक **(Registration and Tax Clearance Certificate)** जिसमें दिनांक 31.03.2016 को कोई कर बकाया न होने का उल्लेख हो।

(4) विगत तीन वर्षो (2013–14, 2014–15, 2015–16) में केवल यूनानी औषधियों के लिए औसतन टर्न ओवर 1.00 करोड का हो। यदि सकल टर्न ओवर दिया गया है तो अलग से यूनानी औषधियों का टर्नओवर अंकित किया जावे।

(5) निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षो (2013–14 से 2015–16) से निरन्तर औषध निर्माण एवं विपणन करने संबंधी दस्तावेजों की मय जांच रिपोर्ट **(Batch Manufacturing Report)** की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।

(6) फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्षों में किसी भी राज्य/केन्द्र द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।

(7) फर्म द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 एवं वर्तमान वर्ष (2016–17) में केन्द्र/राज्य सरकारो के विभागों/उपक्रमों में संतोषप्रद आपूर्ति करने संबंधी न्यूनतम 5 प्रमाण पत्र **(Performance Certificate)** मय आपूर्ति आदेश की प्रति।

(51) प्रत्येक औषधालय/चिकित्सालय हेतु औषधियों का एक–एक किट आपूर्ति आदेशानुसार तैयार कर पैकिंग करते हुये सप्लाई की जानी होगी।

(52) औषधियां अनुलग्नक 1 में दर्शाई गई निर्मित औषधी की मात्रा में से क्रय आदेश के अनुसार आपूर्ति संबंधित रसायनशाला अजमेर में एफ.ओर.आर सप्लाई करनी होगी।

(53) औषधियों की सप्लाई स्वीकार होने तक किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। पैकिंग करते समय औषधि की प्रकृति को देखते हुए पैकिंग इस प्रकार करनी होगी कि, गन्तव्य स्थान पर औषधि पहुॅचने तक व अकिंत एक्सपायरी दिनांक तक सुरक्षित रहे तथा उनकी गुणवत्ता एवं प्रकृति प्रभावित न हो। प्रत्येक औषधि के पैकिंग लेबल पर '**राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नही**' अंकित करना होगा।

(54) पैकिंग में औषधियॉ कम पाये जाने पर संबंधित रसायनशाला प्रभारी/व्यवस्थापक रसायनशालाऐ द्वारा अवगत कराये जाने पर फर्म द्वारा उसकी तत्काल आपूर्ति करवाई जावेगी, अन्यथा कम पाई गई औषधियों का भुगतान काट कर बिल का भुगतान किया जावेगा। उक्त भुगतान को आपको स्वीकार करना होगा। मिशन का निर्णय अंतिम होगा।

(55) माल का भुगतान, इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

(56) औषधि बनाते समय उपयुक्त विधि, मानदण्ड व गुणवत्ता को ध्यान रखना आवश्यक होगा। औषधि नियन्त्रण अधिनियम के अन्य प्रावधानों की पालना करना आवश्यक है।

(57) बिल के साथ राजकीय/केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औषध परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रत्येक बैच की टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।

(58) गोली या कैप्सूल प्लास्टिक/ग्लास की पैकिंग पर प्रत्येक मद के सामने उल्लेखित इकाई के अनुसार औषधियों का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख तथा एक्सपायरी की तिथि एवं **'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नही'** अंकित करना अनिवार्य है।

(59) औषधियों की निर्माण/प्रयोग की अवधि

1. आपूर्ति की जाने वाली औषधी के प्रत्येक बैच के प्रत्येक बोतल/पैकिट/टिन आदि पर विनिर्माण की तारीख, बैंच सं0 और मुख्य संघटक एवं एक्सपायरी तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। बाह्य लिफाफे, कार्टून एवं ट्यूब पर भी बैंच सं. और निर्माण की तारीख एवं एक्सपायरी तिथि अंकित होनी आवश्यक हैं।
2. औषधियों की सेल्फ लाईफ एक्सपायरी तिथि ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक(संशोधित) नियम 2005 के नियम 161 बी में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी एवं आपूर्ति की गई औषधी की एक्सपायरी तिथि मिशन को आपूर्ति किए जाने के समय तीन चौथाई (3/4) की अवधि शेष रहनी चाहिए।
3. औषधियों की पैकिंग एवं लेबलिंग ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 तथा समय–समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
4. उत्पाद के लेबल और बाह्य पैकिंग (कार्टन/रैपर) जब कभी उत्पाद बाह्य पैकिंग सहित आपूर्ति किया जाता है, तो उस पर भी **'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नही'** मुद्रित/चिपकाया गया होना चाहिए :–
   (1) फर्म का नाम
   (2) औषधी का नाम
   (3) औषधी के मुख्य संघटक
   (4) औषधी के घटको की मात्रा
   (5) बैच सं0
   (6) विनिर्माण की तिथि
   (7) एक्सपायरी तिथि
5. उत्पाद की असलियत और अर्न्तवस्तु की अन्य शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बोतल/टिन/प्लास्टिक कन्टेनर आदि पिलफरप्रूफ सील (P.P. Seal) किया जाना अपेक्षित है। पैकिंग को सील करने के लिए चिकने कागज का प्रयोग न किया जाये।
   (क) आसव, अरिष्ट, तैल, क्वाथ (प्रवाही), घृत, अवलेह, लवण और क्षार की पैकिंग कांच या प्लास्टिक (खाद्य श्रेणी) की बोतल में की जावें।
   (ख) सीरप रूप में जो अवलेह हो, उनकी पैकिंग सकड़े मुंह वाली कांच/प्लास्टिक की बोतलों में की जावें।
   (ग) अवलेह और घृत की पैकिंग चौडे मुंह कांच/प्लास्टिक कन्टेनर में की जावें।
   (घ) चूर्ण और क्वाथ चूर्ण की पैकिंग टिन/प्लास्टिक कन्टनेर में की जावें। भीतरी पैकिंग केवल खाद्य श्रेणी पॉलिथिन के थैलों में की जावें।
6. संबंधित भण्डार को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के सभी लेबल हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए।
8. औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भो के अनुसार ही किया जा कर आपूर्ति की जावेगी।

मिशन निदेशक
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,
जयपुर

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों, बोली सूचना व उसकी नियम, शर्तों का अध्ययन कर लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। सभी शर्तों से सहमति बतौर नीचे हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
राजकीय उपक्रम/सोसायटी

नाम मय सील

अनुलग्नक –1

राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015–16 में स्वीकृत राशि के अनुसार निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग से प्राप्त औषध मांगपत्र के अनुसार क्रय की जाने वाली यूनानी औषधियों का विवरण

क्रं स.	औषधी का नाम	पैकिंग यूनिट	औषधालय अनुसार वर्ष 2015–16			चिकित्सालय अनुसार वर्ष 2015–16			औषधालयों एवं चिकित्सालयों में कुल औषधी आपूर्ति मात्रा
			आपूर्ति मात्रा प्रति औषधालय	औषधालयों की संख्या	औषधालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	आपूर्ति मात्रा प्रति चिकित्सालय	चिकित्सालयों की संख्या	चिकित्सालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	
1	अर्कमको	200 ml	8	239	1912	10	11	110	2022
2	अर्कबादियान	200 ml	8	239	1912	10	11	110	2022
3	अर्कअजीब	05 ml	8	239	1912	10	11	110	2022
4	हब्बेअसगन्ध	1000 Pills	1	239	239	1	11	11	250
5	हब्बेअजराकी	1000 Pills	1	239	239	1	11	11	250
6	हब्बेबुखार	1000 Pills	1	239	239	2	11	22	261
7	हब्बेकबिदनोशादरी	1000 Pills	2	239	478	3	11	33	511
8	हब्बेमुकिल	1000 Pills	1	239	239	2	11	22	261

9	हब्बेमुसफ्फी खून	1000 Pills	1	239	239	2	11	22	261
10	हब्बेराल	1000 Pills	1	239	239	1	11	11	250
11	हब्बेशिफा	1000 Pills	1	239	239	1	11	11	250
12	हब्बेसूरनजान	1000 Pills	2	239	478	2	11	22	500
13	हब्बेबवासीर	1000 pills	1	239	239	1	11	11	250
14	कुश्ताबेजायेमुर्ग	10 gm	8	239	1912	10	11	110	2022
15	कुश्तागोदन्ती	10 gm	16	239	3824	20	11	220	4044
16	इत्रीफल शाहतरा	100 gm	10	239	2390	10	11	110	2500
17	इत्रीफलउस्तेखुददूस	100 gm	10	239	2390	10	11	110	2500
18	जवारिशआमलासादा	100 gm	16	239	3824	20	11	220	4044
19	जवारिशकमूनी	100 gm	16	239	3824	20	11	220	4044
20	जवारिश शाही	100 gm	16	239	3824	20	11	220	4044
21	लउकसपिस्ता	100 gm	16	239	3824	20	11	220	4044
22	लउक ख्यार शम्बर	100 gm	12	239	2868	15	11	165	3033
23	खमीराआबरेशमसादा	60 gm	10	239	2390	15	11	165	2555
24	खमीरामरवारीद	60 gm	12	239	2868	15	11	165	3033
25	खमीरागॉवजबानसादा	60 gm	30	239	7170	40	11	440	7610
26	दवाउलमिस्कमोतदिलसादा	100gm	10	239	2390	10	11	110	2500
27	माजूनफलास्फा	100 gm	15	239	3585	20	11	220	3805
28	माजूनहजरूल यहूद	100 gm	10	239	2390	20	11	220	2610
29	माजूनसुपारीपाक	100 gm	12	239	2868	10	11	110	2978
30	माजूनउषबा	100 gm	10	239	2390	20	11	220	2610
31	माजूनमासिकुलबोल	100 gm	8	239	1912	10	11	110	2022
32	त्रियाकेनजला	100 gm	15	239	3585	20	11	220	3805
33	शर्बतउन्नाब	200 ml	10	239	2390	20	11	220	2610

34	शर्बतजूफामुरक्कब	200 ml	15	239	3585	20	11	220	3805
35	शर्बत खाक्सी	200 ml	10	239	2390	15	11	165	2555
36	शर्बतबजूरीमोतदिल	200ml	8	239	1912	10	11	110	2022
37	सफूफसैलान	50 Gm	8	239	1912	9	11	99	2011
38	सफूफनमक शेख उल रईस	50 Gm	10	239	2390	10	11	110	2500
39	सनूनमुखरिजेरतूबत	1 Kg	1	239	239	1	11	11	250
40	जरूरे कुला	1 Kg	1	239	239	1	11	11	250
41	रोगनेबाबूना	50 ml	20	239	4780	20	11	220	5000
42	रोगनेतुर्ब	05 ml	20	239	4780	25	11	275	5055
43	रोगनेसुर्ख	25ml	10	239	2390	20	11	220	2610

राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016–17 में स्वीकृत राशि के अनुसार निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग से प्राप्त औषध मांगपत्र के अनुसार क्रय की जाने वाली यूनानी औषधियों का विवरण

क्रं स.	औषधी का नाम	पैकिंग यूनिट	औषधालय अनुसार वर्ष 2016–17			चिकित्सालय अनुसार वर्ष 2016–17			औषधालयों एवं चिकित्सालयों में कुल औषधी आपूर्ति मात्रा
			आपूर्ति मात्रा प्रति औषधालय	औषधालयों की संख्या	औषधालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	आपूर्ति मात्रा प्रति चिकित्सालय	चिकित्सालयों की संख्या	चिकित्सालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	
1	अर्कमको	200 ml	12	262	3144	30	11	330	3474
2	अर्कबादियान	200 ml	12	262	3144	30	11	330	3474
3	अर्कअजीब	05 ml	12	262	3144	30	11	330	3474
4	हब्बेअसगन्ध	1000 Pills	1	262	262	3	11	33	295
5	हब्बेअजराकी	1000 Pills	1	262	262	3	11	33	295
6	हब्बेबुखार	1000 Pills	3	262	786	6	11	66	852
7	हब्बेकबिदनोशादरी	1000 Pills	4	262	1048	9	11	99	1147
8	हब्बेमुकिल	1000 Pills	2	262	524	4	11	44	568
9	हब्बेमुसफ्फी खून	1000 Pills	2	262	524	4	11	44	568
10	हब्बेराल	1000 Pills	1	262	262	3	11	33	295
11	हब्बेशिफा	1000 Pills	1	262	262	3	11	33	295
12	हब्बेसूरनजान	1000 Pills	2	262	524	6	11	66	590

13	हब्बेबवासीर	1000 pills	1	262	262	3	11	33	295
14	कुश्ताबेजायेमुर्ग	10 gm	12	262	3144	30	11	330	3474
15	कुश्तागोदन्ती	10 gm	24	262	6288	60	11	660	6948
16	इत्रीफल शाहतरा	100 gm	15	262	3930	40	11	440	4370
17	इत्रीफलउस्तेखुददूस	100 gm	15	262	3930	40	11	440	4370
18	जवारिशआमलासादा	100 gm	24	262	6288	60	11	660	6948
19	जवारिशकमूनी	100 gm	24	262	6288	60	11	660	6948
20	जवारिश शाही	100 gm	24	262	6288	60	11	660	6948
21	लउकसपिस्ता	100 gm	24	262	6288	60	11	660	6948
22	लउक ख्यार शम्बर	100 gm	18	262	4716	45	11	495	5211
23	खमीराआबरेशमसादा	60 gm	19	262	4978	43	11	473	5451
24	खमीरामरवारीद	60 gm	18	262	4716	45	11	495	5211
25	खमीरागॉवजबानसादा	60 gm	50	262	13100	120	11	1320	14420
26	दवाउलमिस्कमोतदिलसादा	100gm	15	262	3930	40	11	440	4370
27	माजूनफलास्फा	100 gm	25	262	6550	60	11	660	7210
28	माजूनहजरूल यहूद	100 gm	15	262	3930	30	11	330	4260
29	माजूनसुपारीपाक	100 gm	28	262	7336	70	11	770	8106
30	माजूनउषबा	100 gm	15	262	3930	30	11	330	4260
31	माजूनमासिकुलबोल	100 gm	12	262	3144	30	11	330	3474
32	त्रियाकेनजला	100 gm	25	262	6550	60	11	660	7210
33	शर्बतउन्नाब	200 ml	15	262	3930	30	11	330	4260
34	शर्बतजूफामुरक्कब	200 ml	25	262	6550	60	11	660	7210
35	शर्बत खाक्सी	200 ml	15	262	3930	35	11	385	4315
36	शर्बतबजूरीमोतदिल	200ml	12	262	3144	30	11	330	3474
37	सफूफसैलान	50 Gm	12	262	3144	31	11	341	3485

38	सफूफनमक शेख उल रईस	50 Gm	10	262	2620	30	11	330	2950
39	सनूनमुखरिजेरतूबत	1 Kg	1	262	262	3	11	33	295
40	जरूरे कुला	1 Kg	1	262	262	3	11	33	295
41	रोगनेबाबूना	50 ml	30	262	7860	80	11	880	8740
42	रोगनेतुर्ब	05 ml	30	262	7860	75	11	825	8685
43	रोगनेसुर्ख	25ml	15	262	3930	30	11	330	4260

नोटः– उपरोक्त मात्रा में कमी/वृद्धि सम्भव है। वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 के औषध मांग पत्र हेतु क्रम संख्या 1 से 43 तक की औषधियों के लिए आदेशित मात्रानुसार यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए पृथक–पृथक किट तैयार किए जाने है। इन किटो की पैकिंग पर पृथक–पृथक औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए सप्लाई अंकित करना होगा।

उपरोक्त आपूर्ति हेतु आदेशित सभी औषधियों के प्रति औषधालय/चिकित्सालयों अनुसार किट बनाये जाने है। यह किट एक जिले में जितने औषधालय/चिकित्सालय हैं, उन सभी औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए अलग–अलग किट तैयार किया जाकर एक जिले वाईज औषधालयों/चिकित्सालयों अनुसार पैकिंग/किट संबंधित रसायनशाला अजमेर में पहुॅचाऐ जाने है। रसायनशालाओं के अनुसार आपूर्ति किए जाने वाले किट का विवरण इस प्रकार है :–

Districtvise List of Unani Dispensaries and Hospitals for Distribution of Unani Medicine Kit as per National Ayush Mission SAAP Year 2015-16

S. No.	Name of Pharmacy	Name of District	No. of New Dispensaries (Ayush Services)	Total Dispensaries	Total Hospitals
1	2	3		4	5
1	Ajmer	Ajmer		15	0
		Jaipur-I		18	1
		Jaipur-II		4	0
		Tonk		6	0
		Jhunjhunu		10	0
		Nagour		9	0
		Sikar		6	2
		Jodhpur		15	1
		Churu		10	0
		Jalore		3	0
		Jaisalmer		5	1
		Pali		5	0

		Barmer		8	1
		Bikaner		8	0
		Ganganagar		3	0
		Sirohi		3	0
		Hanumangar		4	1
		Bharatpur		13	0
		Alwar		11	1
		Karauli		10	0
		Kota		5	1
		Jhalawar		7	0
		Dausa		7	0
		Dholpur		5	1
		Baran		5	0
		Bundi		3	0
		SawaiMadhopur		10	0
		Udaipur		6	0
		Chittorgarh		5	0
		Dungarpur		5	0
		Pratapgarh		2	0
		Banswara		6	0
		Bhilwara		5	0
		Rajsamand		2	1
Grand Total				**239**	**11**

Districtwise List of Unani Dispensaries and Hospitals for Distribution of Unani Medicine Kit as per National Ayush Mission SAAP Year 2016-17

S. No.	Name of Pharmacy	Name of District	No. of New Dispensaries (Ayush Services)	Total Dispensaries	Total Hospitals
1	**2**	**3**		**4**	**5**
1	**Ajmer**	**Ajmer**		13	0
		Jaipur-I		15	1
		Jaipur-II		6	0
		Tonk		5	0
		Jhunjhunu		10	0
		Nagour		13	0
		Sikar		4	2
		Jodhpur		17	1

		Churu		8	0
		Jalore		4	0
		Jaisalmer		7	1
		Pali		6	0
		Barmer		12	1
		Bikaner		8	0
		Ganganagar		4	0
		Sirohi		4	0
		Hanumangar		5	1
		Bharatpur		13	0
		Alwar		16	1
		Karauli		9	0
		Kota		6	1
		Jhalawar		6	0
		Dausa		6	0
		Dholpur		5	1
		Baran		5	0
		Bundi		4	0
		SawaiMadhopur		10	0
		Udaipur		6	0
		Chittorgarh		6	0
		Dungarpur		9	0
		Pratapgarh		4	0
		Banswara		6	0
		Bhilwara		7	0
		Rajsamand		3	1
Grand Total				**262**	**11**

नोट : उपरोक्त किट की संख्या एक बार दिए गऐ आपूर्ति आदेश के अनुसार है। दुबारा आदेश दिऐ जाने पर औषधी की आपूर्ति हेतु तदानुसार किट तैयार करने होगें।

संलग्नक–क
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (1)

बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट बाबत् राजकीय उपक्रम/ फार्मेसी/राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी सोसायटी होने संबंधी घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि, हमारी फर्म/संस्था मैसर्स .... केन्द्र/राज्य सरकार का सरकारी उपक्रम/फार्मेसी/राजकीय रजिस्ट्रीकृत सहकारी संस्था है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न है, तथा हमारी फर्म/संस्था राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुच्छेद 42 (3) के अनुसार बोली प्रतिभूति तथा नियम 75 के अन्तर्गत कार्य सम्पादन प्रतिभूति से मुक्त है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक–ख
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (7)

बोलीदाता द्वारा स्व–घोषणा
(देखे नियम 48–VII)

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैंने/हमने जिन निर्मित औषधियों के लिए बोली दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक–ग
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (8)

औसत वार्षिक टर्नओवर का स्टेटमेन्ट

यह प्रमाणित किया जाता है कि यूनानी औषध निर्माता मैसर्स .....

.....

का विगत तीन वर्षो का केवल यूनानी औषधियों वार्षिक टर्न ओवर निम्नानुसार है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह स्टेटमेन्ट सत्य एवं सही है।

क्रम संख्या	वर्ष	टर्न ओवर (रूपये लाखों में)
1.	2013–14	
2.	2014–15	
3.	2015–16	
4.	कुल	
5.	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

हस्ताक्षर
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट
नाम .....
रजिस्टेशन न.
सील

संलग्नक–घ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (9)

(रूपये 10/– के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर एवं नोटेरी से प्रमाणित)

ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का घोषणा–पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरी/हमारी संस्था .... को आज दिनांक ..... तक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों से ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है एवं न ही काली सूची में डाला गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

संलग्नक–ड.

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (12)

(आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एनक्सर ए, बी सी एवं डी)

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any ; and

(h) disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:

   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……. for procurement of ……. in response to their Notice Inviting Bids No.……. Dated …… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the marking of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of Bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Principal Secretary, Ayurved Department, Rajasthan, Jaipur.
The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary**,** Finance Department, Rajasthan, Jaipur/

Filling and appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed From along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit be shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there in an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, words or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing Quantites among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the

entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

संलग्नक–च
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (16)

आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों की पालना का घोषणा–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैने/हमने जिन औषधियों के लिए बोली दी है, उनके औषध निर्माण हेतु फार्मेसी/औषध परीक्षण प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किया जाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए, तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

संलग्नक–छ
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (19)

बोलीदाता द्वारा सहमति पत्र

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर की विज्ञप्ति संख्या..... दिनांक.....के सन्दर्भ में राजकीय यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों हेतु निर्मित अत्यावश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु मैने/हमने सभी नियम व शर्ते पढ ली है, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ/करते है। साथ ही बोली फार्म का शुल्क राशि रू.....(.....) बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....बैंक..... .....संलग्न है। यदि निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो मिशन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

संलग्नक–ज
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (20)

आपूर्ति के सबंध में स्व–घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश दिये जाने की दशा में, मेरी/हमारी फर्म द्वारा आदेश में इंगित मात्रा मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को निर्देशित स्थान पर एफ.ओ.आर आपूर्ति सुनिश्चित रूप से की जायेगी। मैने/हमने निम्नांकित निर्मित औषधियों के लिए वित्तीय दरें दी है जिनकी आपूर्ति के क्रम में निम्नानुसार प्रतिबद्धता करते है :–

क्र. सं.	निर्मित औषधी का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता	मासिक आपूर्ति प्रतिबद्धता	त्रैमासिक आपूति प्रतिबद्धता	दर संविदा समय में आपूर्ति की प्रतिबद्धता

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक–झ
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (23)

घोषणा–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किया जाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक–ञ
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (24)

घोषणा–पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, मेरी/हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गई औषधि यदि मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर, उन औषधियों को मैं/हम स्वयं के खर्चे पर वापस प्राप्त करूगॉ/करेगें व मानक के अनुरूप व गुणवत्ता पूर्ण औषधी की आपूर्ति करूगॉ/करेगें।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

संलग्नक–ट
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (25)

परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति संबंधी स्व–घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश में इंगित अवधि में मेरे/हमारे द्वारा औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। निश्चित अवधि में आपूर्ति न हो पाने की दशा में बोली की शर्तों के अनुसार प्रतिदिन की दर से देय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए मैं/हमारी फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

संलग्नक–ठ
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (26)

घोषणा–पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरे/हमारे द्वारा औषधियों का जो मूल्य भरा गया है, इससें कम दरों पर उन औषधियों की आपूर्ति अनुबंध अवधि के दौरान नहीं की जावेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो मिशन के तहत की जाने वाली सप्लाई में इसका लाभ दिया जाएगा।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

.

संलग्नक–ड
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (28)

उत्पादन शुल्क भुगतान संबंधी घोषणा
(प्रमाण के रूप में रिटर्न/चालान की प्रतिया संलग्न करे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स ..... द्वारा वर्ष 2015–16 (31.03.2016 तक) का समस्त देय उत्पादन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

या

उत्पादन शुल्क से मुक्त होने संबंधी घोषणा
(संबंधित आदेश जिसके तहत मुक्ति प्राप्त है, संलग्न करे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स ..... द्वारा उत्पादन की जा रही औषधियां उत्पादन शुल्क से मुक्त है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक–ढ
तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (29)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत घोषणा प्रमाण पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :–

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

(ड़) ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

(च) कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

.

संलग्नक–ण

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (30)

फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित)

हम मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता.....
.....एतद् द्वारा घोषणा करते है कि हमारे उत्पादों को आज दिनांक तक किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान नकली/अवमानक घोषित नही किया गया है। यदि इस सबंध में कोई भी विरोधी तथ्य आगामी कालावधि में मिशन के संज्ञान में आता है, तो हमारी फर्म के विरूद्ध बोली की शर्तो के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

.

संलग्नक–त

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (31)

केन्द्र/राज्य सरकारो के विभागों/उपक्रमों में संतोषप्रद आपूर्ति करने संबंधी प्रमाण पत्र

(Performance Certificate)

(आपूर्ति आदेश एवं विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स .... द्वारा विगत 3 वर्षो के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार के उपक्रमो/विभागों से निम्नानुसार यूनानी औषधियों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश प्राप्त किए है एवं सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। प्राप्त आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. स.	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश राशि	आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि	वास्तविक आपूर्ति दिनांक
1					
2					
3					
4					
5					

स्थान :–

दिनांक :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय सील

संलग्नक–थ

तकनीकी बोली प्रपत्र का बिन्दु संख्या 7 (32)

शपथ पत्र 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर

नोटरी द्वारा सत्यापित

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि, मैने/हमने यूनानी निर्मित औषधियों के क्रय हेतु तकनीकी बोली के बिन्दु सं का 7 (30) के अनुसार क्रम संख्या 1 से 31 तक में जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/अन्य सूचना संलग्न किए गये है, वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई रदद् कर दी जावे एवं हमारे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

करार पत्र (देखिए नियम 68)

1. यह करार पत्र आज दिनांक ..... माह ..... सन्..... को एक पक्ष के ..... (जिसे इसमें आगे **'अनुमोदित सप्लायर'** कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर (जिसे इसमें आगे **'मिशन'** कहा गया है, तथा इस अभिव्यक्ति में, जंहा संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशियों को शामिल हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच समपन्न किया गया।

2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में जिला आयुर्वेद अधिकारियों को भी, इसमें संलग्र की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम ..... में दी गयी दरों पर सप्लाई करने के लिए मिशन से सहमत हो गया है।

3. चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी हैः–

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा,

(ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,

(iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्टूमेंट्स के रूप में, यदि इन्हें संबंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः–

(i) इसमें संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर ..... के मार्फत मिशन द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर ..... में तथा बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाई करेगा।

(ii) निविदा सूचना संख्या दिनांक ..... से संलग्न खुली बोली हेतु बोली एवं बोली की शर्तो में तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगीं।

(iii) बोलीदाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें ..... तथा मिशन द्वारा जारी किए गए पत्र के भाग के रूप में होगें।

4. (क) मिशन एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि, यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो मिशन ..... के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तो में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :–

1. माल का भुगतान जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा।

2. प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

3. बिल के साथ प्रत्येक बैच की लेबोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।

5. माल की सुपुर्दगी सप्लाई देने हेतु आदेश की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी।

क्रम संख्या	**मदों की संख्या**	**सुपुर्दगी अवधि**
1. यूनानी औषधियों के किट	.....	**60 दिन**

6. (1) (i) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो, सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों के आधार पर वसूली की जाएगी :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

<u>टिप्पणी :</u>

(i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदि सप्लयार किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने वो सप्लाई आदेश दिया था, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा, न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ जो निविदाता के नियत्रंण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न मिशन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर **मिशन के लिए एवं उनकी ओर से**

पदनाम

दिनांक :

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

दिनांक:

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2